

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति बदनावर , जिला – धार (म. प्र.)
सूचना का अधिकार 2005 के अधिनियम के तहत मण्डी बोर्ड के लिए मैनुअल तैयार करने बाबद् धारा 4
के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर जानकारी :-

1) उसके संगठन (**Organidation**)
कृत्य (**Funcation**) तथा कर्तव्यों
(**Duties**) की विशिष्टताएँ (**partculrs**) ।

अधिसूचित कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य सही तौल व नगद भूगतान करनावा ।

2) इसके अधिकारिगण तथा
कर्मचारी/वर्गकार/नियोजितों
(**Employees**) के शक्तियां और कर्तव्य ।

मण्डी समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण एवं मण्डी सचिव जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी है । के अधिनस्थ अमला जिसमें उपयंत्री, मण्डी निरीक्षक, लेखापाल, सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक, भृत्य, चौकीदार आदि नियोजित है । जो कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था, नियंत्रण विनिमय तथा शुल्क की वसूली करते है ।

3) विनिष्य/निर्णय किये जाने के
प्रकरण (**procces**) में अपनायी जाने वाले
का माध्यम/सारणी बीददमस भी,

मण्डी अधिनियम व उपनियम तथा उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा पारित संकल्प अनुसार ।

4) उसके कृत्यों के निर्वहन के लिये
उसके द्वारा मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित
करना ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारीगण, मण्डी सचिव द्वारा मण्डी अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत चरणबद्ध प्रकरणों का निराकरण प्रकरण की प्रकृति अनुसार विनिष्य किया जाता है ।

5) उसके कर्तव्यों को निर्वाहन करने
के लिये उसके द्वारा पारित या उसके
नियमों के अधिन या उसके
कर्मचारियों/नियोजितों के द्वारा उपयोग
किये गये नियमों विनिमयों, अनुदेशों
(**Instruictiond**) मैनुअल्स, और अभिले

कृतियों के निर्वहन हेतू मण्डी अधिनियम उपविधि व मैनुअल तथा समय समय जारी प्रबन्ध संचालक मण्डी बोर्ड भोपाल के आदेश निर्देशानुसार किया जाता है ।

6) उसके द्वारा धारित या उसके
नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों
का विवरण (**astatarnent of
catgories of documents**)

धारित एवं नियंत्रण अधीन दस्तावेज में मुख्य रूप से अनुज्ञप्ति पंजी के क्रय विक्रय पंजी मण्डी शुल्क पंजी लेखा पंजी स्कंध पंजी, स्थापना पंजी, माह पुस्तिका तथा उनसे संबंधित अन्य दस्तावेजों एवं नस्तियां

7) उसकी नीति के मूल्यांकन के
क्रियान्वयन/परिपालन के संबंध में किसी
प्रबन्ध/व्यवस्था की विशिष्टताये जो कि
लोक सदस्यों के द्वारा परामर्श किये जाने
के लिये या उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये
जाने के लिये मौजूद है/अस्तित्व में है ।

मण्डी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव तथा उनके नियंत्रण अधीन एवं निर्देशित व आदेशित मण्डी के अन्य अधिकारी कर्मचारिगण ।

मण्डी समिति द्वारा इस प्रकार अन्य कोई उप समिति का गठन वर्तमान के नहीं किया गया है ।

8) उन बोर्डों (boards) परिशदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति उनके गठन के भाग के रूप में अथवा उसके परामर्श के आशय के लिये रखे गये हैं, का विवरण (statement) और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिशदों, कमेटियों तथा अन्य निकायों के सम्मिलन के ब्यौरे/विवरण पब्लिक के लिये पहुँच योग्य/अभिवस्त (accessible) है ।

9) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों/कर्मचरों, नियोजितों के निर्देशिका (डायरेक्ट्री)

10) मासिक प्रारंभिक (remuneration) जो उसके प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है । तथा उसके विनियमों में उपबंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजो/ प्रतिकर की पद्धति (system) की ।

11) उसकी प्रत्येक एजेन्सी (अधिक्रम) के लिये आंतरिक बजट समस्त योजनाओं का प्रस्तावित खर्चों का तथा किये गये भुगतानों/अदायगी की रिपोर्टश की विशिष्टतायें ।

12) अनुदान के प्रोग्रामों के प्रवर्तन की रिती और आबंटित रकमों और ऐसे प्रोग्रामों के हितग्राहियों के विवरण ।

13) उसके द्वारा दी गई रिहायतों/सुविधाओं, अनुज्ञा पत्रों या मंजुर किये गये अधिकारों को प्राप्त करने वालों की विशिष्टियाँ ।

14) उसके द्वारा प्राप्यनिय या उसके द्वारा धारित इलेक्ट्रानिक फार्मों में सूचना के बारे में विवरण ।

15) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनिय सुविधाओं की विशिष्टियाँ और वाचनालय (लायब्रेरी) या रिडिंग रूम अध्ययन कक्ष के कार्यकारी एंटे यदि लोक उपयोग के लिये बनाये रखा गया है । की भी विशिष्टियाँ ।

16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम पद संख्या/पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ ।

कृषि उपज मण्डी समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों जो नियोजित है, उनकी पदक्रम पंजी (डायरेक्ट्री) संधारित है ।

मण्डी समिति के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मण्डी बोर्ड द्वारा एवं शासन द्वारा निर्धारित वेतन/क्षतिपूर्ति/अन्य भत्तें नियमानुसार मासिक रूप से प्राप्त होते हैं ।

मण्डी समिति का वार्षिक बजट तैयार कर प्रबन्ध संचालक मण्डी भोपाल से स्वीकृत होता है । तदानुसार मासिक आय-व्यय के ब्यौरे संधारित किये जाते हैं ।

मण्डी समिति द्वारा किसी हितग्राही को, का कोई अनुदान वितरण नहीं किया जाता है ।

कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कृषकों को रियायत दरों पर उर्वरक, उपलब्ध करवाया जाता है । साथ ही कृषक एवं व्यापारियों के कृषि उपज विपणन व्यवस्था हेतु माकुल प्रकाश, पानी, सफाई, सडके, विश्राम ग्रह, निलाम चबुतरे, शुलभ शौचालय, इलेक्ट्रानिक तौल कांटे आदि सुविधा उपलब्ध करवाई जाती

कृषि उपज मण्डी समिति में इलेक्ट्रानिक माध्यम से (क्योस्क, डिस्प्ले बोर्ड/टच स्क्रीन कम्प्यूटर/माईक सेट) इत्यादि के माध्यम से प्रदेश की अन्य मण्डियों के भाव, आवक आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ।

मण्डी समिति ने कृषक सूचना केन्द्र के माध्यम से कृषकों एवं नागरिकों हेतू, विश्राम ग्रह, वाचनालय इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है । कार्यालयीन समय में उक्त सुविधाओं का लाभ दिया जाता है ।

- 1- प्रबंध संचालक, म.प्र. मण्डी बोर्ड भोपाल
- 2- उपसंचालक, म.प्र. मण्डी बोर्ड संभाग इन्दौर
- 3- अध्यक्ष, श्री शिवनारायण पाटीदार मण्डी बदनावर
- 4- सचिव, श्री राजेश गोयल मण्डी बदनावर

17) ऐसी अन्य सूचनाएं जो विहित किये जाये ।

कृषि उपज मण्डी की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने, शिकायतों के तुरित निराकरण आदि हेतु, सुझाव हेतु मार्गदर्शन आमंत्रित करते हुवे मण्डी/प्रशासनीक हित में अन्य सूचनायें एवं जानकारियां उपलब्ध है ।

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
बदनावर, जिला-धार